ईमेल/अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकःएफ 13(3)खा.वि./आवंटन/2009–01312   जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

जिला कलक्टर,
बांरा, झालावाड, भरतपुर, चित्तौडगढ,
प्रतापगढ, कोटा, भीलवाडा, सवाईमाधोपुर,
अलवर, बांसवाडा, बून्दी, दौसा, धौलपुर,
डूंगरपुर, करौली, राजसमन्द, उदयपुर,
झुन्झुनू एवं सीकर (राजस्थान)

विषयः– राज्य में निष्क्रमण करने वाले भेडपालक परिवारों के राशनकार्डो में समस्त सदस्यों की आधार/जनाधार सीडिंग करवाकर 'वन नेशन वन राशनकार्ड' योजनान्तर्गत पोर्टेबिलिटी से राशन सामग्री दिलवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य में निष्क्रमण करने वाले भेडपालक परिवारों हेतु निष्क्रमण पथ पर राशन की व्यवस्था उचित मूल्य दुकानों पर की जाती है। पशुपालन विभाग द्वारा जारी परिचय–पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित कर मार्ग की निर्धारित उचित मूल्य दुकान से राशन वितरीत किया जाता है।

इसी क्रम में राज्य में माह सितम्बर, 2018 से लागू स्टेट पोर्टेबिलिटी व्यवस्था से स्थिति और अधिक सुविधाजनक हुई है। नवीन स्टेट पोर्टेबिलिटी व्यवस्था अन्तर्गत कोई भी लाभार्थी राज्य की किसी भी उचित मूल्य दुकान से पात्रतानुसार राशन प्राप्त कर सकता है एवं 'वन नेशन वन राशनकार्ड' के अन्तर्गत सभी एन.एफ.एस.ए. लाभार्थियों को भारत की किसी भी उचित मूल्य दुकान से बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से राशन सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है। प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार को 'वन नेशन वन राशनकार्ड' के लाभार्थियों को गेहूं उपलब्ध करवाए जाने की दृष्टि से उनकी आवंटित सीमा से 2 प्रतिशत अधिक गेहूं आवंटित किया जाता है, किन्तु यह देखने में आया है कि निष्क्रमण करने वाले परिवार कई बार राशनकार्ड साथ में नहीं रखते अथवा कई परिवार के एक या दो सदस्य निष्क्रमण दल का भाग होते है तथा शेष सदस्य मूल निवास स्थान पर ही रहते है। ऐसी स्थिति में यदि परिवार के समस्त सदस्यों की आधार–जनआधार सीडिंग राशनकार्ड में हो तो राशनकार्ड के अभाव में भी निष्क्रमण करने वाले सदस्य द्वारा प्रवास के किसी भी जिले से राशन सुविधा प्राप्त की जा सकती है।

Signature valid

Digitally signed by Subir Kumar
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2025.05.20 14:55:07 IST
Reason: Approved

विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों की आधार/जनआधार सीडिंग कराने बाबत अधिसूचना जारी की गई है तथा इस संबंध में पूर्व में जिला रसद अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए जा चुके है।

उक्त के क्रम में जिन भेडपालकों का आधार/जनाधार कार्ड नहीं बना हुआ है उन भेडपालकों का आधार/जनाधार कार्ड बनवाने हेतु एनरोलमेन्ट मशीन की व्यवस्था करवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करावें, ताकि स्थानीय स्तर पर जिस जिले में भेड लेकर रवाना होते है, उसी जिले में आधार/जनाधार एनरोलमेन्ट करवाया जा सकें। पशुपालन विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं जिला रसद अधिकारियों के समन्वय से 'भेड निष्क्रमण मार्ग' पर स्थित उचित मूल्य दुकानों को चिन्हित करवाकर चिन्हित उचित मूल्य दुकानों से भेडपालकों को विश्राम स्थली पर ही पोस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात् नियमानुसार गेहूं वितरण की व्यवस्था भी की जा सकती है।

अतः लेख है कि जिले के पशुपालन विभाग के उच्चतम अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी के साथ आगामी एक सप्ताह की अवधि में संयुक्त बैठक आयोजित करवाकर जिले के निष्क्रमण करने वाले भेडपालक परिवारों की आधार/जनाधार सीडिंग प्राथमिकता से करवाने का श्रम करावें, ताकि निष्क्रमण के दौरान राशन प्राप्त करने में असुविधा का सामना नहीं करना पडे तथा पोर्टेबिलिटी का लाभ लेते हुए निष्क्रमण मार्ग की किसी भी दुकान से राशन सुविधा का लाभ प्राप्त किया जा सकें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

(सुबीर कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज.जयपुर।
2- संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जिला बांरा, झालावाड, भरतपुर, चित्तौडगढ, प्रतापगढ, कोटा, भीलवाडा, सवाईमाधौपुर, अलवर, बांसवाडा, बून्दी, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, करौली, राजसमन्द, उदयपुर, झुन्झुनू एवं सीकर (राजस्थान)
3- जिला रसद अधिकारी, बांरा, झालावाड, भरतपुर, चित्तौडगढ, प्रतापगढ, कोटा, भीलवाडा, सवाईमाधौपुर, अलवर, बांसवाडा, बून्दी, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, करौली, राजसमन्द, उदयपुर, झुन्झुनू एवं सीकर (राजस्थान)
4- सहायक निदेशक (सांख्यिकी), खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
5- प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को विभागीय पोर्टल पर अपलोड एवं संबंधित को ईमेल हेतु।

Signature valid

Digitally signed by Subir Kumar
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2025.05.20 14:55:07 IST
Reason: Approved